

अधिसूचना संख्या 391604 / VIII-1 / 26-228(श्रम) / 2001, दिनांक 29 अप्रैल, 2026 के अनुसार 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 425 अंक के ऊपर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016 = 100 के आधार पर जनवरी, 2026 से जून, 2026 के औसत सूचकांक 431 पर निम्न तालिका के अनुसार परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की दरें देय होंगी :-

दृष्टांत - 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को औसत 431 पर दिनांक : 01-10-2026 से दिनांक : 31-03-2027 तक प्रतिमाह मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा-

$$\frac{(431 - 425) \times 13800.00}{425} = 195$$

1- 50 या 50 से अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले स्थापन :-

क. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	दिनांक : 01-10-2026 से दिनांक : 31-03-2027 तक (औसत 431 पर देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता + मूल न्यूनतम मजदूरी)
1	अकुशल	13800.00	13995
2	अर्द्धकुशल	15100.00	15313
3	कुशल	16900.00	17139

(उमेश चन्द्र राय)
उप श्रम आयुक्त,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संख्या 3287 / 4-01/25

दिनांक : 15/10/2026

प्रतिलिपि : 1- सचिव, श्रम, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2- अपर श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

3- उप श्रम आयुक्त, देहरादून/हल्द्वानी/हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर एवं उप निदेशक, कारखाना/बॉयलर, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराना सुनिश्चित करने तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(उमेश चन्द्र राय)
उप श्रम आयुक्त,
कृते श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।